

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 16/2025

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण -

1. उम्मेद सिंह पुत्र रामचंद्र जाति
राजपुरोहित निवासी 138 इंद्रा
कॉलोनी जिला बाड़मेर
(फर्म:-जनता स्वीट होम,
चौहटन, जिला बाड़मेर का
विक्रेता)
2. भरत सिंह पुत्र उम्मेद सिंह
निवासी 138 इंद्रा कॉलोनी
जिला बाड़मेर (फर्म:-जनता
स्वीट होम, चौहटन, जिला
बाड़मेर का मालिक)

**परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006**

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री हितेश कुमार उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 28.05.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी गण के प्रतिष्ठान **जनता स्वीट होम, चौहटन** पर निरीक्षण दिनांक **09.03.2025** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन (मिठाई) (घी मे बने हुए)** जो कि एक स्टील की ट्रे में लगभग 5 किलो भरे हुए थे, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **गुलाब जामुन (मिठाई) (घी मे बने हुए)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी-2828** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **गुलाब जामुन (मिठाई) (घी मे बने हुए)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक

Kpa

प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 19.03.2025 में उक्त खाद्य पदार्थ गुलाब जामुन (घी की बनी हुए) का नमूना को अवमानक (Sub-standard) बताया गया जिसकी अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।


2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता बहस के दौरान प्रकट किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध यह प्रकरण उसकी प्रथम गलती मानते हुए जुर्म स्वीकार किया एवं भविष्य में गलती नहीं करना प्रकट करते हुए क्षमा करने का निवेदन किया है।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 19.03.2025 में उक्त नमूना अवमानक (Sub-standard) स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार B.R. Reading of extracted fat का मानक स्तर न्यूनतम 40.0 to 44.0 के मुकाबले 38.77 पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को धारा 46 की उप-धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा बहस में जुर्म स्वीकार किया गया है एवं भविष्य में गलती नहीं होना प्रकट करते हुए क्षमा करने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा



खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 16 / 2025 / खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम उम्मेद सिंह व अन्य

एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजेन्द्र सिंह) एवं
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर